

ALGISTERED No. D. ID NO.

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 2 PART I-Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई बिहली, शुक्रवार, छनवरी 9, 1987/पौष 19, 1908 No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9 1987/PAUSA 19, 1908

• इस भाग में भिरूप पुष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सको

Separate Paging is given to this Par' in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1987

अधिसूचना

फा. सं. ए-12022/25/86-पी ई-I :---केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 14-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

1438 GI/86

2 THE GAZETTE OF INDIA :"EXTRAORDINARY [PART I-SEC. 2]

कांडला पत्तन न्यास में अपने उपाध्यक्ष के कार्य के अतिरिक्त कार्यभार संभालुने की नारीख से 31 मार्च, 1987 लक अथकों नियमित अधिकारी के पद ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहल हो तब तक के लिए श्री मोहेब अली, आई आर एस (सी एंड सी ई) उपाध्यक्ष को कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

## (Ports Wing)

New Delhi, the 9th January, 1987

## NOTIFICATION

F. No. A-12022|25|86-PE-I.—In exercise of the powers conferred by section 14-A read with clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoint Shri Moheb Ali, IRS (C&CE) Deputy Chairman, Kandla Port Trust to act as Chairman, Kandla Port Trust in addition to his own charge as Deputy Chairman, Kandla Port Trust with effect from the date he takes over the charge of the post and upto 31st March, 1987 or till a regular incumbent joins the post, whichever is earlier.

## YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987